

MCG बाल सुरक्षा घटना की सूचनाओं (रिपोर्ट) पर प्रतिक्रिया कैसे करती है

MCG या बाहरी स्थानों पर किसी बच्चे/युवा व्यक्ति के प्रति असुरक्षित व्यवहार के बारे में चिंताओं या इसके साक्षी होने से संबंधित किसी भी रिपोर्ट के लिए।



यदि किसी बच्चे या युवा को तात्कालिक (आसन्न) खतरा है, तो MCC के कर्मचारी, स्वयंसेवक या कांटेक्टर (ठेकेदार) आगे नुकसान को रोकने के लिए कोई तत्काल और उचित कदम उठाएंगे।



रिपोर्ट कौन कर सकता है?

कोई भी (किसी बच्चे या युवा व्यक्ति सहित) जो किसी बच्चे/युवा व्यक्ति के प्रति असुरक्षित व्यवहार होते देखता है, या जिसे MCG या बाहरी स्थानों पर किसी बच्चे/युवा व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ हैं।



वे क्या रिपोर्ट कर सकते हैं?

निम्नलिखित सहित कोई भी बाल सुरक्षा चिंताएँ:

- असुरक्षित व्यवहार का खुलासा
- नुकसान या दुर्व्यवहार
- MCC बाल सुरक्षा आचार संहिता का उल्लंघन
- पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मुद्दे
- असुरक्षित व्यवहार/नुकसान के आरोप, संदेह या अवलोकन



“बच्चा/बाल या युवा व्यक्ति” किसे माना जाता है?

18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा/बाल या युवा व्यक्ति होता है।



रिपोर्ट कैसे करें?

ज़बानी (मौखिक) रिपोर्ट, ईमेल childsafety@mcc.org.au, टेलीफोन कॉल या पत्र।



आगे क्या होता है?

किसी घटना/शिकायत की सूचना मिलने पर, MCC इसमें शामिल सभी पक्षों (पार्टियों) से संपर्क करेगा, जांच करेगा और परिणाम(मों) के बारे में पार्टियों को सूचित करेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा और उन्हें अपडेट करेगा।



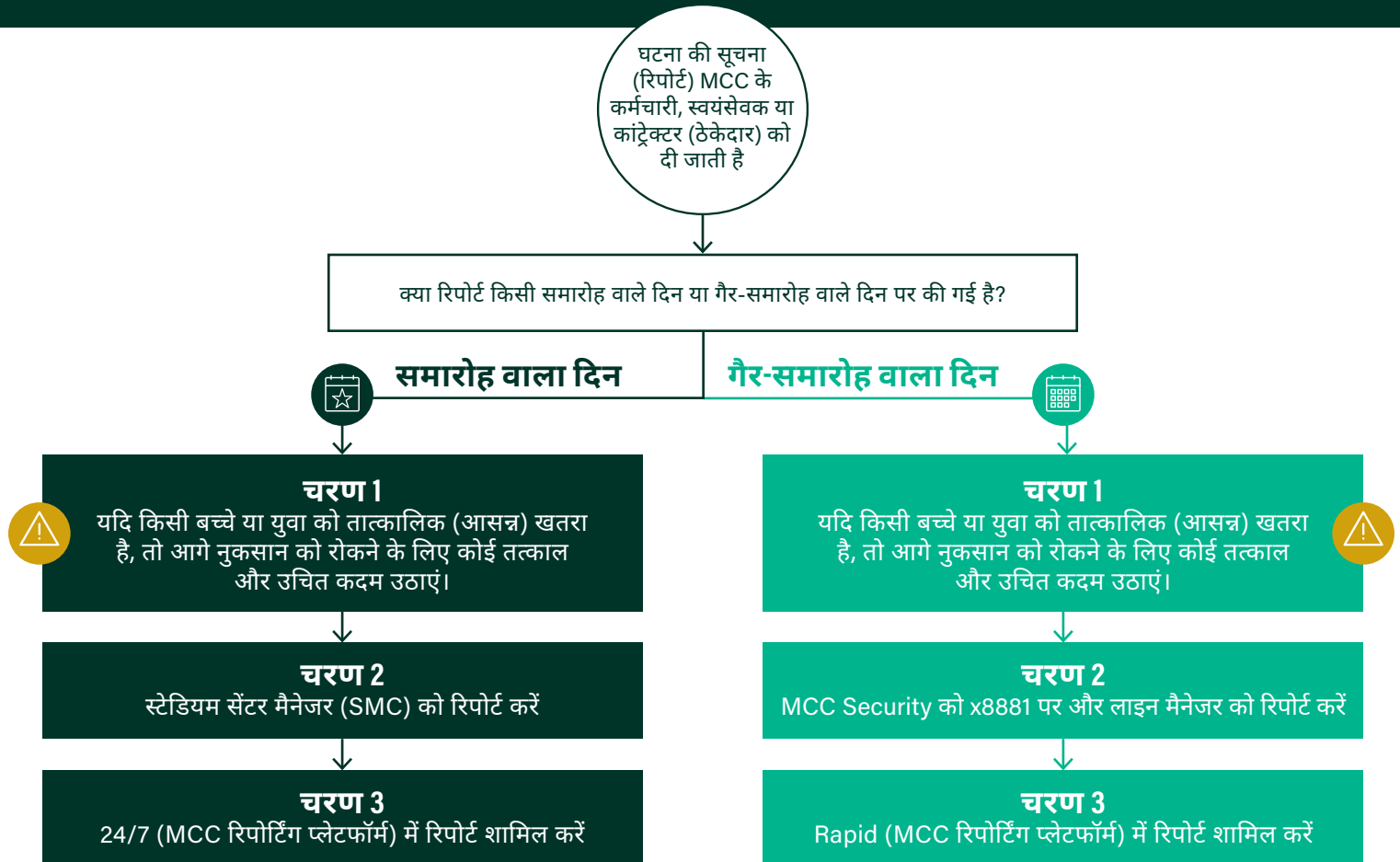
नुकसान और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चर्चा करना परशानी-भरा हो सकता है। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपने लाइन मैनेजर से बात करें या:

- लाइफलाइन: 13 11 14
- 1800 Respect: 1800 737 732
- हेडस्पेस: 1800 650 890
- बियॉन्ड ब्लू: 1300 22 4636
- किड्स हेल्प लाइन: 1800 55 1800



बाल सुरक्षा घटना की सूचनाओं (रिपोर्ट्स) पर प्रतिक्रिया कैसे करें

MCG या बाहरी स्थानों पर किसी बच्चे/युवा व्यक्ति के प्रति असुरक्षित व्यवहार के बारे में चिंताओं या इसके साक्षी होने से संबंधित किसी भी रिपोर्ट के लिए।



रिपोर्ट कौन कर सकता है?

कोई भी (किसी बच्चे या युवा व्यक्ति सहित) जो किसी बच्चे/युवा व्यक्ति के प्रति असुरक्षित व्यवहार होते देखता है, या जिसे MCG या बाहरी स्थानों पर किसी बच्चे/युवा व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ हैं।



वे क्या रिपोर्ट कर सकते हैं?

निम्नलिखित सहित कोई भी बाल सुरक्षा चिंताएँ:

- असुरक्षित व्यवहार का खुलासा
- नुकसान या दुर्व्यवहार
- MCC बाल सुरक्षा आचार संहिता का उल्लंघन
- पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मुद्दे
- असुरक्षित व्यवहार/नुकसान के आरोप, संदेह या अवलोकन



यह ज़रूरी है कि रिपोर्ट्स और अधिसूचनाएँ (नोटिफिकेशन) जितनी जल्दी हो सके, दी जाएँ और शिफ्ट की समाप्ति से पहले दी जाएँ। सभी रिपोर्ट्स उसी दिन दी जानी आवश्यक हैं जिस दिन घटना हुई थी।



नुकसान और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चर्चा करना परेशानी-भरा हो सकता है। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपने लाइन मैनेजर से बात करें या:

- लाइफलाइन: 13 11 14
- 1800 Respect: 1800 737 732
- हेडस्पेस: 1800 650 890
- बियॉन्ड ब्लू: 1300 22 4636
- किड्स हेल्प लाइन: 1800 55 1800



POWERED BY